<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

अतिक्रमण अपील वाद संख्या –163/2022

जई राय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
08.06.2023	यह अपीलवाद अपर समाहर्त्ता, वैशाली के वाद संख्या–01/2019–20 में दिनांक–10.06.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। । अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस वाद की विगत तिथि दिनांक–22.05.2023 एवं आज दिनांक–08.06.2023 को भी अनुपस्थित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामला अतिक्रमण से संबंधित है एवं अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्व दायर है, जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामला अतिक्रमण से संबंधित है एवं अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध दायर है जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है इसलिए वादी के अनुपस्थिति में ही वाद में आदेश पारित किया जा रहा है। Bihar Public Land Encroachment Act के नियम 11 में स्पष्ट रुप से वर्णित है 1. From every order passed under	

WEB COPY NOT OFFICIAL

section 6, 7 or 8 an appeal shall lie-

(i) if such an order is passed by any officer other than the Collector of the district, to the Collector of the district or to any officer specially empowered by the State Government, by notification in the official Gazette;

(ii) If such order is passed by the Collector of the district, to the Commissioner of the Division.

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद में आदेश ''**Collector of the district"** के द्वारा पारित नहीं है इसलिए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL